न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 130/2018

1 मुलाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी ग्राम हंसासरी तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 भगवानाराम पुत्र भींवाराम।
1/1 मनोहरी पत्नी भगवाना।
1/2 दलीप दत्तक पुत्र भगवानाराम।
2 फूलाराम पुत्र भींवाराम।
3 गिरधारी पुत्र किशनाराम।
4 रामकरण पुत्र किशनाराम।
5 सांवलराम पुत्र भींवाराम समस्त जाति जाट निवासीगण हंसासरी तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
6 पतासी देवी पुत्री किशनाराम पत्नी चिमनाराम जाति जाट निवासी ग्राम हंसासरी हाल निवासी ग्राम खोहरी तहसील मलसीसर व जिला झुंझुनू।
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
8 पटवारी हल्का हंसासरी पटवार हल्का लूणा तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मलसीसर मुकदमा नम्बर 23/2017 उनवानी प्रकरण मुलाराम बनाम भगवानाराम दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा सहपठीत धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम निर्णय दिनांक 06.06.18

उपस्थिति :

1. श्री राजेश कुमार सुण्डा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिवनारायण, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः-9/11/18

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 23/2017 में पारित निर्णय दिनांक 06.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने भूमि खसरा नम्बर 199,200 से 204 वाके ग्राम हंसासरी बाबत दावा रिकार्ड दुरूस्ती स्थाई निषेधाज्ञा सपठित धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सहमती के आधार पर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि गत खसरा नम्बर 114 हाल खसरा नम्बर 199 से 204 का जमाबंदी में रकबा ज्यादा है। जबकि मौके पर कम है। नक्शा शीट में गत व हाल नम्बर का मिलान नही होता है। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष की सहमती से निर्णय पारित किया है। परन्तु अपीलांट की आपत्ति दिनांक 06.06.2017 का निस्तारण नही किया है। अत अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने निवेदन किया था कि प्रकरण से सम्बंधित तीन वाद उनके समक्ष लम्बित है। तीनो को समेकित कर एक साथ निस्तारण किया जावें। विचारण न्यायालय ने अपीलांट की जानकारी के बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत है। न्यायहित में धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 06.06.2018 पर अपीलांट के सहमती के हस्ताक्षर है। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की प्रारम्भ से जानकारी होना साबित है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नही है। विधि अनुसार सहमती से पारित निर्णय व डिक्री की अपील पोषणीय नही है। विचाराधीन निर्णय की आदेशिका से विचाराधीन निर्णय व डिक्री सहमती से पारित किया जाना साबित है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील पोषणीय नही है। विचारण न्यायालय के समक्ष मूल अनुतोष अपीलांट द्वारा रिकार्ड दुरूस्ती एवं पत्थरगढ़ी का चाह गया है। विधि अनुसार ऐसे प्रकरणों में धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत अपील सम्भागीय आयुक्त के यहां पोषणीय है। इस न्यायालय में अपील पोषणीय नही है। अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 06.06.2018 पर अपीलांट के सहमती के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनू)

हस्ताक्षर है। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की प्रारम्भ से जानकारी होना साबित है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नही है। विधि अनुसार सहमती से पारित निर्णय व डिक्री की अपील पोषणीय नही है। विचाराधीन निर्णय की आदेशिका से विचाराधीन निर्णय व डिक्री सहमती से पारित किया जाना साबित है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील पोषणीय नही है। विचारण न्यायालय के समक्ष मूल अनुतोष अपीलांट द्वारा रिकार्ड दुरूस्ती एवं पत्थरगढ़ी का चाहा गया है। विधि अनुसार ऐसे प्रकरणों में धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत अपील सम्भागीय आयुक्त के यहां पोषणीय है। इस न्यायालय में अपील पोषणीय नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 9/11/22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर